प्रमाणीकरण प्रक्रिया के चरण

- प्रमाणीकरण संस्था को आवेदन
- संस्था द्वारा शुल्क की मांग
- संस्था द्वारा रिकार्ड का निरीक्षण व मूल्यांकन
- प्रत्येक निरीक्षक द्वारा रिपोर्ट तैयार करना
- समीक्षा समिति द्वारा रिपोर्ट की समीक्षा
- प्रक्षेत्र के रिकार्ड संस्था को उपलब्ध कराना
- कृषक व संस्था के बीच समझौता
- गुणवत्ता हेतु आन्तरिक व बाहरी निरीक्षक द्वारा निरीक्षण
- निरीक्षण का लेखा परीक्षण द्वारा सत्यापन
- प्रक्षेत्र प्रमाणन पर निर्णय

विशेष - किसी भी उत्पाद के लिये जैविक प्रमाणपत्र केवल 3 वर्ष के लिये वैध होता है। 3 वर्ष की समाप्ति पर इसे नवीनीकृत किया जाता है।

UPSOCA CERTIFIED ORGANIC

mpsoca

fssai

अधिक जानकारी के लिये सम्पर्क करें

अध्यक्ष

कृषि विज्ञान केन्द्र, बाँदा

बाँदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बाँदा-210001 (उ0प्र0)

Tel.:- 05192- 232315; e-mail:- kvkbanda@gmail.com

website:- banda.kvk4.in

वित्त पोषित-

सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स. प्राकृतिक कृषि व आर्गेनिक एवं ड्राई लैण्ड फार्मिंग

जैविक प्रमाणीकरण प्रक्रिया

एपीडा APEDA

India Organic

National Programme for Organic Production

Organic Farming Association of India OFAI

- डा0 श्याम सिंह
- डा0 मंजुल पाण्डेय • डा0 प्रज्ञा ओझा
- डा0 मानवेन्द्र सिंह • डा0 दीक्षा पटेल

विस्तार पत्रक/बीयूएटी/केवीके-बाँदा/2022/09

प्रसार निदेशालय

कृषि विज्ञान केन्द्र, बाँदा

बाँदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय

बाँदा-210001

जैविक प्रमाणीकरण प्रक्रिया

जैविक कृषि उत्पाद को विश्वसनीय बनाकर ही इसका अच्छा मूल्य प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए इसका प्रमाणीकरण अति आवश्यक है। इसके निर्धारण के लिए अलग–अलग देशों में अपने मानक हैं एवं अलग ही प्रमाणीकरण प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जैविक उत्पादन, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, भंडारण तथा परिवहन का प्रमाणीकरण किया जाता है।

मोटे तौर पर इस प्रक्रिया के प्रमुख पांच चरण है:

1. सभी रासायनिक एवं परिवर्तित अनुवांशिकी के जीवो का प्रयोग प्रतिबंधित है।
2. लंबे समय से प्रतिबंधित निवेशों के प्रयोग से मुक्त भूमि ही प्रमाणीकरण प्रक्रिया में लाई जा सकती है।
3. सभी प्रक्रियाओं एवं क्रियाकलापों का अभि लेखन करना।
4. जैविक व अजैविक उत्पादन इकाइयों को एक दूसरे से स्पष्ट रूप से अलग रखना।
5. समय–समय पर निरीक्षण कर जैविक मानकों का पालन सुनिश्चित करना।

प्रमाणीकरण जरूरी क्यों है?

जैविक पदार्थों के बाजार को सुलभ बनाने एवं ग्राहकों में सुरक्षा व गारंटी की भावना पैदा करने के लिए इनका प्रमाणीकरण आवश्यक है जैविक उत्पादों पर प्रमाणीकरण के उपरांत इंडिया आरर्गेनिक मार्क लगाया जाता है जो उत्पादों के जैविक मानकों पर खरा होने की गारंटी है। प्रमाणीकरण हेतु प्रत्येक देश के अपने मानक एवं अधिकृत प्रमाणीकरण संस्थाएं हैं जो अपने अपने अलग या एक राष्ट्रीय मानक कार्यक्रम के तहत कार्य करती हैं प्रमाणीकरण प्रक्रिया जैविक उत्पादन हेतु किसी फार्म या खेत को प्रमाणित करने के लिए किसान को निर्धारित मानकों के तहत एक निश्चित प्रक्रिया के अंतर्गत सारे क्रियाकलापों को नियंत्रित तरीके से संपन्न कराना होता है तथा इनका लेखा–जोखा भी रखना होता है।

प्रमाणीकरण प्रक्रिया के चरण

1. **मानकों की जानकारी–** जैविक उत्पादन हेतु किसी फार्म या खेत को प्रमाणीकृत करने के लिए किसान को हर स्तर पर निर्धारित मानको के तहत ही उत्पादन की प्रक्रिया को संपादित करना होता है अतः इन उत्पादन मानकों एवं उनके प्रचालन की पूरी जानकारी आवश्यक है।
2. **मानकों की पालना–** उत्पादन की सभी प्रक्रियाओं में मानकों व दिशा निर्देशों की पूर्ण अनुपालना आवश्यक है इस में प्रयुक्त उपकरणों, भंडार निवेशों का क्रय एवं अनुमति निवेशों का प्रयोग सभी शामिल है जैविक उत्पादन इकाइयों को अजैविक से पूर्ण रूप से अलग रखना एवं प्रतिबंधित उत्पादों के पूर्ण निषेध की भी पालन करना आवश्यक है।
3. **कार्य की योजना–** जैविक फार्म पर प्रत्येक वर्ष उत्पादन की पूर्ण लिखित योजना बनाकर उसकी प्रमाणीकरण संस्था से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होता है, अनुमति के पश्चात ही वर्ष भर क्रियाकलाप इसी स्वीकृत योजनानुसार संपादित कराए जाते हैं।
4. **प्रमाणीकरण संस्था द्वारा निरीक्षण–** प्रमाणीकरण संस्था द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार प्रत्येक उत्पादन इकाई/कार्य का निरीक्षण अवश्य किया जाता है जिससे उसके अभिलेखों उत्पादन योजना की जांच के अलावा वहां कार्यरत उत्पादकों एवं कार्यकर्ताओं का साक्षात्कार कर मानकों के अनुपालना सुनिश्चित की जाती है संस्था द्वारा निरीक्षण पूर्व योजना या अचानक भी किया जा सकता है तथा आवश्यकता पड़ने पर मिट्टी उत्पादों के नमूनों की जांच भी कराई जाती है।
5. **प्रमाणीकरण शुल्क–** जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण हेतु पूरी प्रक्रिया के लिए कृषक द्वारा प्रमाणीकरण संस्था को एक निश्चित शुल्क का भुगतान करना होता है शुल्क भुगतान एवं सफल निरीक्षण के उपरांत ही प्रमाणीकरण प्रदान किया जाता है ।
6. **उत्पादन प्रक्रियाओं का अभिलेख–** जैविक उत्पादन हेतु आवश्यक निवेशों के क्रय से लेकर उनके प्रसंस्करण व विपणन तक की जाने वाली पूरी प्रक्रियाओं के अभिलेखों का रिकॉर्ड रखा जाता है यही प्रमाणीकरण प्रक्रिया का मुख्य आधार है। इसी रिकॉर्ड के माध्यम से उत्पाद की विपणन व्यवस्था एवं उसका विवरण ज्ञात किया जाता है।

किसी भी कार्य पर जब जैविक प्रबंधन अपनाया जाता है तो यह सुनिश्चित किया जाता है कि वहां की मिट्टी प्रमाणिक घोषित किए जाने से पूर्व ही सभी रसायनों के अवशिष्ट से मुक्त हो इसके लिए जैविक प्रबंधन शुल्क अदा करने के बाद 2–3 वर्ष की परिवर्तन अवधि तय की जाती है जो फार्म पर पहले प्रयोग किए जाए किए गए निर्देशों के आधार पर घटाई बढ़ाई जा सकती है।

भारत में जैविक प्रमाणीकरण की व्यवस्था:

भारत में जैविक प्रमाणीकरण तंत्र कृषि प्रसंस्करण उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) द्वारा संचालित की जाती है, जो भारत सरकार के विपणन मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रचालित होती है। घरेलू बाजार हेतु राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम कृषि विपणन सलाहकार द्वारा एगमार्क कानून के अंतर्गत नियंत्रित किया जाता है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत अभी तक 20 से ज्यादा प्रमाणीकरण संस्थाओं को प्राधिकृत किया जा चुका है। अधिक जानकारी हेतु APEDA की वेबसाइट www.apeda.com@apeda का संज्ञान लिया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के कृषक निकटम प्रमाणीकरण संस्था उ0प्र0 राज्य जैविक प्रमाणन एजेंसी करियप्पा रोड आलमबाग लखनऊ से संपर्क कर सकते हैं। अथवा उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध अन्य प्रमाणन संस्थाओं से भी प्रमाणीकरण हेतु संपर्क कर सकते हैं।

विशेष: किसी भी उत्पाद के लिए जैविक व प्रमाण पत्र केवल 3 वर्ष के लिए वैध होता है, 3 वर्ष की समाप्ति पर इसे नवीनीकृत किया जाता है।